सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दि0 09–03–2011 की कार्य सूची ।

मद सं0:–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 तथा 20.10.2010 में पारित आदेशों का अनुपालन निम्नवत् किया गया।

1– मद संख्या–01 में स0प0प्रा0 देहरादून की बैठक दिनांक–26–06–2010 की मद संख्या–01 से 18 तक लेकर, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक–12–11–2009 की कार्यवाही की पुि" ट, स0प0प्रा0 द्वारा परिचालन पद्धति आदेश, सचिव स0प0प्रा0 द्वारा प्रतिनिधायन के अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदे" ा, जनभार के स्थाई परमिट, जनभारत वाहन के रा" ट्रीय परमिट, मैक्सी कैब/टैक्सी कैब/यूटिलिटी/सवारी गाड़ी/निजी सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी के स्थाई परमिट, स्थाई सवारी गाड़ी के नवीनीकरण किए गए परमिट, विक्रम जनकल्याण सेवा समिति द्वारा एल0पो0जी0 चालित विक्रम के स्थान पर डीजल चालित यूरो–02, 03 वाहन को प्रतिस्थापन के आदेश, नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गों पर परमिट जारी करने के आदेश, मसूरी में नगर बस सेवा चलाने हेतु मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) के अन्तर्गत मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में एसटीए क माध्य से ' ाासन को प्रस्ताव प्रे" ात किए जाने के आदेश, देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग के परमिटों को नगर बस परमिटों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण समिति से सर्वेक्षण कराने के आदेश, देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग का विस्तार पीपीसीएल तक करने के आदेश सीमाद्वार–नालापानी मार्ग का विस्तार बसंत विहार चौक से पंडितवाड़ी पुलिस चौकी तक करने के आदेश, जीप टैकर वाहनों को स्टेज कैरीज के रूप में

सम्भागीय परिवहन पाधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 26–06–10 में पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

संचालित करने हतु 51 परमिट जारी करने के आदेश, मियांवाला से बालावाला होते हुए गुजरोंवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किद्दुवाला–नत्थनपुर–नेहरू ग्राम–राजीव नगर–बलवीर रोड–ई0सी0 रोड होते हुए सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड तथा पवेलियन से एस्लेहाल–कांग्रेस भवन–नेशविला रोड–डोभाल वाला–कालीदास रोड–हाथीबड़कला–सर्वे गेट–पुलिस चौकी से आगे मंदिर से नया गांव–जौहड़ी–अनारवाला चौक तक, टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित शिवपुरी–तिमली, विनकखाल–भिगुन, सरकण्डा–गोवा, विनकखाल–भैंती, गंगोत्री–नाल्ड, छतियारा–खबाड़ा, घोपड़धार–कोपड़धार, खालसी से खालसी गांव, मनेरी से जखोल तथा भटवाड़ी–पाही–द्वारा–गोरशाली–जखोल मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिये खोलने तथा मार्ग का पृ" ठांकन मार्ग सूची संख्या–01 तथा 04 में करने के आदश, 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के आदेश, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 में देहरादून केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्शा परमिटों को प्राप्त करने हेतु 31–08–10 तक का समय बढाने का आदेश, विकलांग व्यक्ति श्री जिशान, श्री सुरेन्द्र सिंह व जाहिदा को चालक लाईसेंस की बाध्यता से छूट प्रदान करने के आदेश, श्री इरफान, श्री सूर्य प्रताप, श्री नौशाद तथा श्री गुलसनम को पुराने परमिटों के स्थान पर नये टैम्पों परमिट जारी करने के आदेश, विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हाने पर प्रशमन ' ुल्क निर्धारित करने के आदेश, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो अथवा दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निलंबन अथवा निलंबन अवधि का प्रशमन ' ुल्क निर्धारित करने के आदेश, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट संख्या–178/एमएस/07–श्री नरेन्द्रसिंह गुसाई तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.2.10 के अनुपालन में प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के आदेश, श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह

को डोईवाला केन्द्र के लिए ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के आदेश, एमडीडीए–डाटमंदिर मार्ग की बसों का विस्तार द्वारिका स्टोर से इन्द्र रोड–कर्जन रोड होते हुए दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय तक करने के आदेश, हरिद्वार एवं रूड़की केन्द्रों के ऑटोरिक्शा परमिट स्वीकृत करने के आदेश।

2– मद सं0–02 में स0प0प्रा0 की बैठक दिनांक 26–06–06 श्री शिव कुमार ‘ ार्मा को स्वीकृत ऑटोरिक्शा परमिट को प्राप्त किए जाने हेतु समय बढ़ाने तथा श्री गोपाल ‘ ार्मा को स्वीकृत ऑटोरिक्शा परमिट में विकलांग व्यक्ति के लिए लाईसेंस की बाध्यता का समाप्त करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेश का अनुमोदन किया जाना था।

3– मद सं0–03 के अन्तर्गत सचिव सं0 प0 प्राधि0 तथा सहा0 स0प0अ0 द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक–01–06–10 दिनांक–03–09–10 तक मो0या0आ0, 1988 की धारा 87 व 88(8) के अन्तर्गत जारी सवारी गाड़ी, ठेका गाड़ी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के 470 अस्थाई परमिट, ‘ ाासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किए गए जनभार वाहन के 480 स्थाई परमिट, भार वाहन के 362 रा” ट्रीय परमिट, मैक्सी कैब के 327 स्थाई परमिट, टक्सी कैब के 69 स्थाई परमिट, यूटिलिटी के 70 स्थाई परमिट, सवारी गाड़ी के पर्वतीय मार्गों के 48 स्थाई परमिट, स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं को निजी सवारी 88 स्थाई परमिट, ठेका गाड़ी के 39 स्थाई परमिट तथा सवारी गाड़ी के 28 स्थाई परमिटों के नवीनीकरण का अनुमोदन किया जाना था। अपील सं0 25/08 में पारित मा0 एसटीए(टी) के आदेशों के अनुपालन में श्री नवीन कुमार गुप्ता को देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारो गाड़ी परमिट जारी करने के आदेशों का अनुमोदन श्रीमती प्रीति गुप्ता को देहरादून–कालसी मार्ग के परमिट संख्या–1892 में लोवर मॉडल वाहन

संकल्प संख्या–02 के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा क्रमांक 01 व 02 पर परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

संकल्प संख्या–03 के अन्तर्गत मो0या0नि0, 1998 के नियम 97 में दिए गए प्राविधानानुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेश दिनांक–05.08.1994 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मद में जारी किए गए सभी प्रकार के परमिटों के आदेशों का अनुमोदन किया गया है।

यूके07–पीए–0610 लगाने तथा श्री राम कुमार सैनी का माजरा–धर्मावाला–विकासनगर के स्थाई परमिट संख्या–1128 में सेम मॉडल की वाहन संख्या–यूए12–ए–0260 मॉडल–2005 लगाने के आदेशों का अनुमोदन किया जाना था।

4– मद संख्या–04 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–1609/09/एमएस–श्री आशुतो" । सिंह व अन्य तथा याचिका संख्या–1299/10/एमएस–श्री अनुप गोस्वामी तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक–28–07–2010 के अनुपालन में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाना था।

5– मद संख्या–05 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट सं0–178/एमएस/07 श्री नरेन्द्र सिह गुसांई व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना था।

6— मद संख्या–06 में परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल–बड़ोवाला तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–04 के अन्तर्गत श्री योगराज सिंह को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 18.10.10 तक का समय प्रदान करते हुए इस मद को आगामी बैठक के लिए स्थगित किया गया।

संकल्प संख्या–05 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग पर 05 परमिट सर्वश्री नरेन्द्र सिंह गुसांई, विशाल थापा, देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा तथा सुभा" ा कुमार पुत्र (अनुसूचित जाति) को एक–एक स्थाई सवारी गाड़ी परिमट स्वीकृत किया गया है।

सकल्प संख्या–06 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल तथा सम्बन्धि मार्ग पर 04 परमिट सर्वश्री नितिन आहूजा, अनिल अग्रवाल, राजेन्द्र भट्ट तथा मंडलीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन निगम को एक–एक स्थाई सवारी गाड़ी परिमट स्वीकृत किया गया है।

7— मद संख्या–07 में आईएसबीटी–प्रेमनगर–सहस्त्रधारा तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट जारी करने क सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

8— मद संख्या–08 में राजपुर–क्लेमेनटाउन तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

9— मद संख्या–09 में श्रीमती संगीता देवी की बस संख्या–यूए07एम–9385 को प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग का स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

10– मद संख्या–10 में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में विभिन्न मार्गो पर स्वीकृत नगर बस सेवा परमिट प्राप्त करने हेतु समय बढाने तथा स्वीकृत परमिट पुरानी वाहनों से प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्रीमती बबीता देवी सोनकर, श्रीमती सुनीता देवी व कु0 ‘ वेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

11– मद संख्या–11 में टिहरी जनपद के अंजनीसैंण–पुनाणु, जाखनीधार–गराकोट–पौड़ीखाल, डांग–मुलाणा, किलकिलेश्वर–सिल्काखाल–चोनीखाल तथा उत्तरकाशो जनपद के धौंतरी से सीरी गांव तक नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खालने के सम्बन्ध में विचार व आदेश प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–07 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आईएसबीटी–प्रेमनगर–सहस्त्रधारा मार्ग पर 04 स्थाई परमिट फ्लीट ऑनर के रूप में मंडलीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये गये है।

संकल्प संख्या–08 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा राजपुर–क्लेमेनटाउन नगर बस मार्ग पर 04 स्थाई परमिट फ्लीट ऑनर के रूप में मंडलीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये गये है।

संकल्प संख्या–09 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रेमनगर–चाकी धौलास मार्ग का 01 स्थाई नगर बस परमिट श्रीमती संगीता देवी को उनकी बस संख्या–यूए07एम–9385 पर स्वीकृत किया गया।

संकल्प संख्या–10 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा मद में उल्लिखित तीनों प्रार्थिनियों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए।

संकल्प संख्या–11 में प्राधिकरण द्वारा मद में उल्लिखित सभी मोटर मार्गों को यातायात के लिए खोलने तथा क्रमांक–03 में उल्लिखित मार्ग डांग–मुलाणा हल्की वाहन मार्ग को छोड़कर अन्य नवनिर्मित मार्गों का पृष्ठांकन मार्ग सूची संख्या–1 के परमिटों में करने के आदेश किये गए।

12– मद सं0–12 में कु0 जाहिदा को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 में देहरादून केन्द्र के स्वीकृत ऑटोरिक्शा परमिट को प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

13– मद संख्या–13 श्री जगवीर सिंह मान के परमिट संख्या–पीकोपी–4751 में विक्रम टैम्पों से प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

14– मद संख्या–14 में सचिव कौलागढ़–विधानसभा नगर बस एसोसिऐशन देहरादून ने अपने मार्ग का विस्तार रेलवे स्टेशन से लालपुल–सब्जीमण्डी–आईएसबीटी तक बढ़ाने तथा सब्जीमण्डी मोड़ से लालपुल–महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल होते हुए कारगी चौक तक परमिट से काट दिए जाने के प्रार्थनापत्र को विचार व आदे" । हेतु प्रस्तुत किया गया था।

15– मद संख्या–15 में डोईवाला केन्द्र से 25 किमी अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिए विक्रम टैम्पों परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

16– मद संख्या–16 के अन्तर्गत श्रीमती सुरेन्दर कौर के प्रार्थनापत्र पर उनके हरिद्वार केन्द्र के लिए जारी विक्रम टैम्पों परमिट संख्या–3276 के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–12 के अन्तर्गत कु0 जाहिदा को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26–06–10 में देहरादून केन्द्र का स्वीकृत ऑटोरिक्शा परमिट को प्राप्त करने के हेतु प्राधिकरण द्वारा 31–12–10 तक का समय प्रदान किया गया।

संकल्प सं0–13 में प्राधिकरण द्वारा श्री जगवीर सिंह मान के टैम्पो परमिट सं0–1733 में नई विक्रम डीजल चालित यूरो 02/03 वाहन प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की गई।

संकल्प संख्या–14 के अन्तर्गत कौलागढ़–विधानसभा मार्ग को सब्जीमंडी से लालपुल–मंहत इन्द्रेश हॉस्पिटल होते हुए कारगी चौक तक काटने तथा रेलवे स्टेशन से लालपुल–सब्जी मंडी होते हुए आईएसबीटी तक विस्तार करने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या मंगाने तथा उसके पश्चात् मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए हैं।

संकल्प संख्या–15 में प्राधिकरण द्वारा डोईवाला क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों का चिह्नित करके उनका सर्वेक्षण कराने के पश्चात् मामले को प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

संकल्प संख्या–16 में प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार केन्द्र का विक्रम टैम्पों परमिट सं0–3276 को निरस्त करने के आदेश पारित किए गए।

17– मद संख्या–17 के अन्तर्गत श्री अमित कुमार जायसवाल की शिकायत पर श्री रईस

अहमद के विक्रम टैम्पों परमिट संख्या–2640 के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

18– मद संख्या–18 के अन्तर्गत श्री दु" यन्त गोयल की शिकायत पर श्री मोहन सिंह के मार्ग सूची संख्या–04 के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–3143 के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

19– मद संख्या–19 (अ) के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो चालान पाये जाने पर, 44 परमिटों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

मद संख्या–19 (ब) के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, 24 परमिटों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

20– मद संख्या–20 में नगर परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले परमिटों को क्षेत्र के स्थान पर मार्ग आधारित निर्गत किये जाने के

संकल्प संख्या–17 में प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता के परमिट धारक के प्रति कोई शिकायत न होने पर निर्णय लिया गया कि भविष्य के लिए परमिट धारक का चेतावनी दी जाती है।

संकल्प संख्या–18 में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के फलस्वरूप मामले में कोई कार्यवाही करने की आवश्यता नहीं है। 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का संचालन किए जाने के सम्बन्ध में आरटीओ देहरादून को परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

संकल्प संख्या–19(अ) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ओवरलोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिए सचिव को अधिकृत किया गया। मद में उल्लिखित 44 परमिटों के विरुद्ध निलंबन अथवा निलंबन अवधि का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया।

संकल्प संख्या–19(ब) के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ओवरलोंडिंग तथा परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर दो से अधिक चालान होने के फलस्वरूप 22 वाहनों के विरुद्ध निरस्तीकरण अथवा उस पर प्रशमन शुल्क निधारित किया गया।

संकल्प संख्या–20 में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि देहरादून नगर के मार्गों पर संचालित विक्रम टैम्पों वाहनों के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के पत्र पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

21– मद संख्या–1(अनु0) थाना कैण्ट–परेडग्राउण्ड नगर बस मार्ग का विस्तार थाना कैण्ट से निंबूवाला–कौलागढ़ रोड होते हुए ओएनजीसी चौक तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

मद संख्या–2(अनु0) डीएल रोड–डिफेंस कालोनी नगर बस मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से अजन्ता होटल तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

मद संख्या–3(अनु0) हरिद्वार केन्द्र से ऑटोरिक्शा परमिट स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में 7 प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

मद संख्या–4(अनु0) पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के मापदण्डों में संशोधन के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक–30.07.2010 में निर्धारित मापदण्डों को देहरादून संभाग में भी लागू करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–10–10 का मद सं0–1– इस मद में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, द्वारा याचिका सं0–1609/09/एमएस तथा याचिका सं90–1299/10/एमएस में पारित आदेश दिनांक 28–07–10 के अनुपालन में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर आख्या मांगी जाए कि किस मार्ग पर कितनी विक्रम वाहनें संचालित हैं तथा कितने विक्रम वाहनें संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

संकल्प संख्या–1(अनु0) में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड मार्ग की बसों का विस्तार थानाकैण्ट से निंबूवाला–कौलागढ़ रोड होते हुए ओएनजीसी चौक तक कर दिया जाए।

संकल्प संख्या–2(अनु0) में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डी0एल0रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग कर विस्तार दिलाराम बाजार से अजंता होटल तक कर दिया जाए।

संकल्प संख्या–3(अनु0) में हरिद्वार केन्द्र के 07 ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में इस

मद को प्राधिकरण द्वारा आगामी बैठक के लिए स्थगित किया गया।

संकल्प संख्या–4(अनु0) में प्राधिकरण ने राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को देहरादून संभाग में भी लागू करने के आदेश पारित किए गए।

संकल्प सं0–1 में प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम, प्रांतीय महामंत्री, उत्तराखण्ड रोडवेज इम्प्लाईज यूनियन, श्री मनमोहन सिंह बि" ट तथा श्री योगराज सिंह की आपत्तियों का प्राधिकरण द्वारा बिन्दुवार निस्तारण करते हुए
को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध उत्तराखण्ड परिवहन निगम की आपत्ति, प्रांतोय महामंत्री, उत्तराखण्ड रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन की आपत्ति, श्री मनमोहन सिंह बि" ट की आपत्ति तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0–1079/10 में पारित आदेश दिनांक 06–10–10 के अनुपालन में श्री योगराज सिंह की आपत्ति भो प्रस्तुत की गयी थी।

मार्ग पर 42 नगर बस सेवा परमिट स्वीकृत किए गए, जिनमें से 27 परमिट उन आवेदकों को स्वीकृत किए गए जिनकी वाहनें व" र्ा 2009 से परमिट के अभाव में खड़ीं थीं। अनुसूचित जाति श्रेणी के तीन नये आवेदकों तथा 12 परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किए गये।

मद सं0:–2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–

(अ) जीप प्रकार की छोटी वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु (1) आईएसबीटी से शिमला बाई पास–सेवला कलां–गौतम कुण्ड–चन्द्रवनो–आईएसबीटी, (2) आईएसबीटी से हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला–चन्द्रवनी– आईएसबीटी मार्गों को वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 01–01–11 का अनुमोदन।

(ब) उत्तराखण्ड परिवहन निगम को राजपुर–क्लेमेनटाउन, आईएसबीटी–सहस्त्रधारा तथा देहरादून–डोईवाला मार्गों पर जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों में रंग परिवर्तन से छूट प्रदान करने तथा परमिट जारी करने हेतु एक माह का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 01–01–11 का अनुमोदन।

मद सं0:—3 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः—

अ— दिनांक 01.10.10 से दिनांक 28.02.11 तक मो0या0अधि0—1988 की धारा—87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :—

सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक 13861 से 14915 तक— 1055

ब— शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः :—

1—जनभार वाहन के स्थाई परमिट	41144	41813	670
2—भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	9216	9597	382
3—मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	2709	3029	321
4—टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	4922	5015	94
5—यूटिलिटी के स्थाई परमिट	1227	1307	81
6—सवारी गाडी के स्थाई परमिट			
पर्वतीय मार्ग —	3750	3810	60
मैदानी मार्ग—	———		
7—निजी सवारी गाडी (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी स्थाई परमिट —	1567	1654	88
8—ठेका गाडी के स्थाई परमिट —	679	730	51

योग–1747

स– सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये स्थाई परमिट– 08

पीएसटीपी–687, 712, 905, 1560, 1713, 1796, 1797, 1798

मद सं0:–4 डोईवाला केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश–

डोईवाला क्षेत्र के 10 प्रार्थियों (क्रम सं0 1 से 10) द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को सम्बोधित प्रतिवेदन आयुक्त महोदय के माध्यम से प्राप्त हआ है। अपने प्रत्यावेदन में उनके द्वारा यह कहा गया है कि वे डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़े–लिखे बेरोजगार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी व अपने परिवार की आजीविका चलाने हेतु डोईवाला केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने का निवेदन किया गया है। विशे" । कार्याधिकारी मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ने उक्त प्रत्यावेदन को आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के लिए अग्रसारित करते हुए निर्देश दिए हैं, **" कृ0 ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रस्तावित करने की अपेक्षा।"**

डोईवाला केन्द्र के विक्रम थ्री व्हीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी अपने पत्र दिनांक 01.10.10 द्वारा सूचित किया है कि विगत कई वर्षो से डोईवाला केन्द्र के परमिट जारी नहीं किये गये हैं। विक्रम एसोसिएशन को विकम परमिट जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। नये परमिट जारी करने पर स्थानीय लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि वर्तमान में डोईवाला केन्द्र से 328 परमिट वैध है। इस केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों को रिस्पना पुल से आगे देहरादून शहर में प्रवेश प्रतिबन्धित है।

डाईवाला केन्द्र से विक्रम टैम्पों परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक–08–10–10 में मद संख्या–15 द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किए थेः–

"मद सं0–15 के अन्तर्गत डोईवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये विकम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में डोईवाला केन्द्र से 328 विकम वाहनें संचालित हो रही हैं। प्राधिकरण ने डोईवाला केन्द्र के विकम वाहनों का संचालन रिस्पना पुल से आगे देहरादून शहर में प्रतिबन्धित किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री दिनेश गोयल ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये परमिट जारी किये जायें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई यातायात सुविधा नहीं है। जबकि इस क्षेत्र में टिहरी विस्थापित क्षेत्र व इंडस्ट्रीएल एरिया विकसित होने से जनसंख्या में अत्यधिक वृद्वि हुई है। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये विकम परमिट स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण ने कार्यसूची के मद सं0–20 में उल्लिखित परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–3137/एसटीए/दस–2/10 दिनांक 06.10.10 का अवलोकन किया। इस पत्र में यह कहा गया है कि 25 किमी0 रेडियस के परमिट जारी होने पर निर्गत किये गये परमिटों में से किसी मार्ग पर अत्यधिक संख्या में वाहनें संचालित होती हैं, जबकि किसी दूसरे मार्ग पर आवश्यकता से कम वाहनें संचालित होती हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि, विकम वाहनों को जारी किये जाने वाले परमिट 25 किमी0 अर्धव्यास के स्थान पर मार्ग विशेष के लिये जारी किये जायें, ताकि प्रत्येक मार्ग पर जनता को यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि डोईवाला क्षेत्र में पडने वाले मार्गो को चिन्हित करके उनका सर्वेक्षण कराया जाय तथा सर्वेक्षण आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।"

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0–2594/आरटीए/दस–71/2010 दिनांक 20–10–10 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवतन), देहरादून को डोईवाला क्षेत्र के मार्गों का सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या 1630/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2010 दिनांक 11–01–2010 द्वारा निम्न आख्या प्रेि" ात की हैः–

1. वर्तमान में डोईवाला केन्द्र के वैध परमिटों से आच्छादित 328 विक्रम वाहन संचालित हो रहे हैं। इसमें से अधिकांश विक्रम वाहनों का संचालन डोईवाला से देहरादून, डोईवाला से ऋf” ाकेश तथा डोईवाला से नेपाली फार्म की ओर हो रहा है।
2. डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों बुल्लावाला–झबरावाला, खैरी–धर्मचक, घमण्डपुर, डांडी, बडकोट, नागाघेर, कालूवाला, ‘ ारगढ़ आदि क्षेत्रों में आम जनता के आवागमन हेतु यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। उक्त क्षेत्रों में यदा–कदा विक्रम संचालित होते हैं अन्यथा जनता को ‘ ाहर में आने–जाने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है।
3. विगत एक दशक म डोईवाला क्षेत्र की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुयी जनसंख्या वृद्धि के दृf” टगत जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अतिरिक्त परमिट दिये जाने की आवश्यकता है।
4. परमिट जारी करते समय परमिट में निम्नलिखित ‘ ार्तें लगाया जाना जनहित में उचित होगाः–

- यह ‘ ार्त लगायी जानी उचित होगी कि परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला से आगे देहरादून ‘ ाहर की ओर, देहरादून–ऋf” ाकेश मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा देहरादून–हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त यह भी उचित होगा कि इन विक्रम वाहनों का रंग निर्धारित कर दिया जाय और इन पर डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित करा दिया जाय।

डोईवाला केन्द्र से विक्रम टैम्पों परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रो के विवरण परिशि” ट–“क” में दिए गए हैं। वर्तमान में डोईवाला केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये 15 वर्ष की माडल सीमा निर्धारित की गई है। अतः डोईवाला केन्द्र के लिये निर्धारित माडल सीमा का पुनःनिर्धारण करने के सम्बन्ध में भी विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–05– निम्नलिखित मार्गों पर 7/8 सीटर हल्की वाहनों को संचालन ठेका गाड़ी के रूप में करने हेतु परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

पाधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 तथा 26–06–2010 में क्रम सं0–01 व 02 उल्लिखित मार्गों को एवं परिचालन पद्धति से पारित आदेश दिनांक 01–01–11 द्वारा क्रम सं0–03 व 04 में उल्लिखित मार्गों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 (2)(1) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। प्राधिकरण ने यह भी आदेश पारित किए थे कि इन मार्गों पर भवि" य में परमिटों के लिए आवेदन करने हेतु निम्नवत् ' ार्तें होंगी:–

1–आवेदन उत्तराखण्ड के निवासी हों इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2–आवेदित क्षेत्र में रहने वालों को प्राथमिकता दी जायगी।

3–आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।

4–आवेदक बेरोजगार हों।

5–उसके पास हल्की वाणिज्य वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

6–परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 2216/आरटीए/दस–15–2011 दिनांक 21–02–11 द्वारा इस मार्ग पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु परमिटों के आवेदन पत्र मांगे गये थे। यह विज्ञप्ति दिनांक 22–02–11 को अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई थी। आवदेन–पत्र दिनांक 01–03–11 तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था।

क्र०सं०	मार्ग का नाम	रिक्तियों की संख्या	परिशि"ट
1.	मियांवाला चौक–गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किददूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीव नगर–बलबीर	10	"ख"

	रोड–ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेड ग्राउन्ड मार्ग।		
2.	सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–कालीदास रोड–दिलाराम चौक–युकलिप्टिस रोड–सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड–लैंसडाऊन चौक–रेंजर कॉलेज–पंचायती मंदिर चौक–प्रिंस चौक–सहारनपुर चौक–मातावाला बाग–गुरू रामराय डिग्री कॉलेज–कारगी–विद्याविहार–बाईपास रोड–आईएसबीटी एवं दून विश्वविधालय मार्ग ।	20	"ग"
3.	आईएसबोटी से शिमला बाईपास होते हुए सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी–सुभा" । नगर चौक–ट्रांसपोर्ट नगर–आईएसबीटी मार्ग।		"घ"
4.	आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट–चन्द्रबनी–वाइल्ड लाइफ कालोनी–सुभा" । नगर चौक–ट्रांसपोर्ट नगर–आईएसबीटी मार्ग।		"च"

अध्यक्ष/महामंत्री, डी0एल0रोड–डिफेंस कालोनी–एमडीडीए–नवादा मार्ग सिटी बस ऑनर्स यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 28–02–11 द्वारा आपत्ति की गई है कि ठेका परमिट के वाहनों को स्टेज कैरिज के परमिट में तब्दील न किया जाए। यदि ठेका परमिट को स्टेज कैरिज में तब्दील किया जाता है तो स्टेज कैरिज वाहनों के स्वामियों के सामने रोजी–रोटी का संकट पैदा हो जाएगा तथा स्टेज कैरिज एवं ठेका कैरिज वाहनों में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। उन्होंने अनुरोध किया है कि ' ाहर को जाम, दुर्घटनाओं एवं प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ठेका वाहनों को स्टेज कैरिज के परमिट जारी करने पर रोक लगाने की कृपा कर।

अतः प्राधिकरण प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–06– <u>रिविजन सं0 5/2009–श्री गुरबक्श सिंह बनाम संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून तथा अन्य में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27–06–09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में इस ' ार्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से प्राप्त किए जाएंगे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किये गये हैं।

प्राधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 27–12–08 के विरुद्ध मार्ग के ऑपरेटर श्री गुरबक्श सिंह ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समझ निगरानी संख्या 05/2009 द्वायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस निगरानी का निस्तारण दिनांक 27–06–09 को किया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अंश निम्न प्रकार हैः–

"निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी संख्या 16 लगायत 20 कमशः मोहित कुमार पुत्र श्री भू"ाण कुमार, सुमित पुत्र श्री ओम प्रकाश, अनिल कुमार पुत्र श्री डी.एम. अग्रवाल, रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल तथा इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्स सिंह के पक्ष में जो स्वीकृत किये गये परमिट हैं जिन्हें सचिव, स0प0प्रा0 इस आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर जारी करें, को छोड़कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 15 तथा विपक्षी संख्या 21 लगायत 91 के पक्ष में स्वीकृत/जारी किये गये परमिट निरस्त किये जाते हं। उपरोक्त निर्णय माननयी उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में लम्बित रिट याचिका संख्या 96/2009 सुशीला बनाम सरकार आदि तथा याचिका संख्या 103/2009 एस.के. श्रीवास्तव बनाम सरकार आदि तथा याचिका संख्या 1896/2008 अजय कुमार गर्ग बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अधीन होगा। निगरानी की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार अपना अपना वादव्यय स्वयं करेंगे।"

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि दिनांक 21–02–11 को प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित प्रार्थियों ने निवेदन किया है कि मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27–06–09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर स्वीकृत परमिट 05 व" ा पुरानी वाहनों पर जारी करने हेतु निवेदन किया हैः–

1–श्री मोहित कुमार पुत्र श्री भू" ाण कुमार,
2–श्री सुमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश,
3–श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल,
4–श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
5–श्री इन्द्र प्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्श सिंह।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–06–09 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका संख्या 1039/09 तथा 1077/09 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–07–09 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों को स्थगित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्न प्रकार हैः–

भ्प्द जीम ंइवअम बिजे ंदक बपतबनउेजंदबमेए ` ंद पदजमतपउ उमेंनतमए जपसस जीम दमगज कंजम वि सपेजपदहए वचमतंजपवद वि जीम पउचनहदमक वतकमत कंजमक 27.06.2009 चेंमक इल जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।चचमससंजम ज्तपइनदंस क्मीतंकनद `ेंसस तमउंपद `जंलमकए वदसल पद `व ति ` पज तमसंजमक जव बंदबमससंजपवद वि चमतउपज हतंदजमक इल जीम त्ज। इल ोपे वतकमत कंजमक 27.12.2008 पद ंिवनत वि जोम चमजपजपवदमतण"

अतः प्राधिकरण मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात् मामले में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं:–07(अ) मण्डलीय प्रबंधक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा देहरादून–विकास नगर–कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में इस ‘ ार्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से प्राप्त किए जाएंगे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं।

मण्डलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, 66 गांधी रोड, देहरादून ने अपने पत्र सं0 49/म0प्र0/संचालन/परमिट/देहरादून/11 दिनांक 18–01–11 द्वारा निवेदन किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून–बल्लुपुर–प्रेमनगर–सेलाकुई–हरबर्टपुर–विकासनगर–कालसी मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने का क” ट करें। उन्होंने इस मार्ग पर परिमटों हेतु 10 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए हैं।

परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को सम्बोधित तथा अध्यक्ष व सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को पृ” ठांकित अपने पत्र संख्या 611/विधि/रिट–198/2011 दिनांक 23–02–11 द्वारा निर्देशित किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लम्बित परमिटों के प्रार्थनापत्रों पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मिथलेश गर्ग बनाम भारत संघ व अन्य (ए0आई0आर0–192, एस0सी0–443) में पारित आदेशों के क्रम में विचार करने का क” ट करें।

अतः प्राधिकरण उक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

ब– <u>देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।</u>

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में इस ‘ ार्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से प्राप्त किए जाएंगे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के विवरण परिशि" ट–"छ" में दिए गए हैं।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–08– श्री प्रीतम दास गर्ग के नाम पर मार्ग सूची सं0–05 के लिए जारी स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–3596 में से पर्वतीय मार्ग को काटने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री प्रीतम दास गर्ग पुत्र श्री जादो राम गर्ग, 69, गांधी रोड, देहरादून को उनकी बस सं0–यूपी07एफ–0838 मॉडल–1996 के लिए मार्ग सूची सं0–05 का स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–3596 जारी किया गया था। यह परमिट दिनांक 26–02–10 से 25–02–15 तक वैध है। श्री प्रीतम दास गर्ग ने अपने प्रार्थनापत्र ने दिनांक 24–02–11 द्वारा सूचित किया है कि परमिट पर संचालित वाहन सं0–यूपी07एफ–0838, 15 व" र्ा पुरानी हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान में वे इस स्थिति में नहीं हैं कि परमिट पर ऊँचे मॉडल की वाहन लगा सके। इसलिए उनके परमिट में से पर्वतीय मार्ग काट दिया जाए, ताकि वे अपनी वाहन का संचालन देहरादून से कालसी तक मैदानी मार्ग पर कर सकें।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वाहन दिनांक 27–03–1996 को पंजीकृत हुई थी, इस प्रकार यह वाहन 26–03–2011 को 15 व" र्ा पुरानी हो जाएगी। वर्तमान मे देहरादून–कालसी मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–09– श्रीमती स्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल कुमार सिंघल, सी–30, नेहरूकालोनी, देहरादून एम0डी0डी0ए कालोनी–डाट मंदिर मार्ग पर नगर बस सेवा परमिट हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 01–12–10 पर विचार व आदेश।

श्रीमती स्वेता सिघंल ने अध्यक्ष, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को सम्बोधित अपने द्वारा निवेदन किया है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनताल द्वारा याचिका संख्या–1231/03 में पारित आदेश दिनांक 08–08–08 के संदर्भ में वह एमडीडीए–कालोनी–डाट मंदिर मार्ग पर स्थाई नगर बस परमिट के लिए प्रार्थनापत्र दे रही है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उनको उपरोक्त मार्ग पर परमिट स्वीकृत व जारी किया जाए। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 1231/03 मे निम्न आदेश पारित किए थेः–

भजीम ूतपज चमजपजपवद पे कपेउपेमक ें ूपजीकतूंदण् प्ज पे कपतमबजमक जींज पि जीम चमजपजपवदमत ंचचसपमे जव तमेचवदकमदज छवण 2 ंतिमी वित हतंदज व ितवनजम चमतउपज वित ंदल तवनजमए तमेचवदकमदज छवण 2 ेंसस तमबमपअम ेनबी ंद ंचचसपबंजपवदए बवदेपकमत जीम ेंउम वद पजे उमतपजे ंदक पद ंबबवतकंदबम ूपजी सूं ंदक कपेचवेम पज व िअमतलए अमतल मगचमकपजपवनेसलण्”

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्रीमती स्वेता सिंघल ने याचिका संख्या 1231/03 में पारित आदेश दिनांक 08–08–08 में पूर्व में भी एक प्रार्थनापत्र दिनांक 01/02–09–08 का देहरादून–डोईवाला मार्ग के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था। इस प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में मद सं0–12 द्वारा स्वीकृत किया गया था, तथा स्वीकृत परमिट प्राप्त करने के लिए दिनांक 31–03–09 तक का समय दिया गया था। प्रार्थिनी ने स्वीकृत परमिट निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं किया तथा पुनः परमिट प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था। इस प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 में मद सं0 34 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित किए हैं प्रार्थिनी को अब और समय दिया जाना अस्वीकृत किया जाता है।

वर्तमान में एम0डी0डी0ए0–डाट मंदिर मार्ग पर 12 स्थाई नगर बस परमिट वैध हैं तथा 01 रिक्ति उपलब्ध है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोन्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0ः–10– **श्रीमती बबीता देवी, श्रीमती चम्पा देवी तथा श्रीमती कृ”णा देवी को देहरादून–डोईवाला तथा संबंधित मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाड़ी परमिट नई वाहन के स्थान पर, 05 व”र्ा कम पुरानी वाहनों पर जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–10–10 में देहरादून–डोईवाला तथा संबंधित मार्ग पर 42 नगर बस सेवा परमिट स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 12 परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को तथा 27 परमिट उन आवेदकों को स्वीकृत किए गए थे जिनकी वाहनें व" र्ा 2009 से परमिट के अभाव में खड़ी थीं। इनमें से 24 आवेदक सामान्य श्रेणी के व 03 आवेदक अनुसूचित जाति श्रेणी के थे। अनुसूचित जाति के श्रेणी के 03 नये निम्न आवेदकों को, जिनके पास बसें उपलब्ध नहीं थीं, परमिट इस ' ार्त के साथ स्वीकृत किए गए थे कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से प्राप्त किया जाएगा।

1. श्रीमतो बबीता देवी
2. श्रीमती चम्पा देवी
3. श्रीमती कृ" णा देवी

स्वीकृत परमिट पर नई वाहन लगाने की ' ार्त का आधार राजधानी की नगर बस सर्विस होने के कारण देहरादून नगर में प्रदू" ाण मुक्त सुविधाजनक बस सेवा उपलब्ध कराना व दुर्घटनाओं की न्यूनतम संभावना आदि है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20–10–10 के विरुद्ध दो प्रार्थिनियों श्रीमती बबीता देवी व श्रीमती चम्पा देवी ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष यह शिकायत की थी कि विभाग द्वारा उनके साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है तथा प्रार्थिनियों को परमिट देने से वंचित किया जा रहा है। प्रार्थिनियों के प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आयोग के मा0 उपाध्यक्ष महोदय ने शिकायती प्रकरण पर दिनांक 12–01–11 को आदेश पारित किए हैं कि श्रीमती बबीता देवी का पास बस सं0–यूके07पीए–0466 तथा श्रीमती चम्पा देवी के पास बस सं0–यूए11–0708 उपलब्ध है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को जारी किए गए परमिटों पर गाड़ियों की जांच/फिटनेस की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए 15 दिन के अन्दर बसों का संचालित करने की संस्तुति प्रदान की है।

मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्बन्ध में जिला ' ाासकीय अधिवक्ता (दिवानी), देहरादून से इस सम्बन्ध में राय मांगी गई थी। उन्होंने अपने पत्र दिनांक

31–01–11 द्वारा सूचित किया है कि प्राधिकरण आयोग की संस्तुति के अनुपालन हेतु बाध्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय् ने अपने आदेश दिनांक 29–01–11 द्वारा मामले को बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि श्रीमती बबीता की वाहन सं0–यूके07–पीए–0466 मॉडल 2009 वर्तमान में थाना कैण्ट–परेडग्राउण्ड मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–2039 पर दिनांक 15–09–09 से संचालित है। श्रीमती चम्पा देवी की वाहन सं0–यूए11–0708 मॉडल–2006 प्रार्थिनी के नाम पर दिनांक 29–11–10 को हस्तान्तरित हुई है तथा वर्तमान में बिना परमिट है। श्रीमती कृ" णा देवी ने भी पुरानी वाहन पर परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया है, परन्तु वाहन संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–11– <u>देहरादून सम्भाग के विभिन्न केन्द्रों से जारी विक्रम टैम्पों परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए (देहरादून केन्द्र को छोड़कर) मॉडल सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में देहरादून संभाग के निम्नलिखित केन्द्रों से विक्रम टैम्पों वाहनों के परमिट 25/40 किमी अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिए जारी किए गए हैं।

	केन्द्र का नाम	**जारी परमिटों की संख्या**
1–	विकास नगर केन्द्र	–126
2–	धर्मावाला केन्द्र	– 67
3–	बड़ोवाला केन्द्र	– 38
4–	डोईवाला केन्द्र	–328
5–	ऋशिके" ा केन्द्र	–484
6–	हरिद्वार केन्द्र	–537

7—	रूड़की केन्द्र	—283
8—	लक्सर केन्द्र	— 20

विक्रम टैम्पों वाहनों से हा रहे वायु प्रदू" ाण को देखते हुए प्राधिकरण ने देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पों वाहनों के लिए 07 व" ा की मॉडल सीमा अपनी बैठक दिनांक 08—05—98 के संकल्प सं0—05 द्वारा निर्धारित की है। संभाग के अन्य केन्द्रों के लिए जारी विक्रम टैम्पों परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए 15 व" ा की मॉडल सीमा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17—12—98/24—02—99 द्वारा निर्धारित की गई है। वर्तमान में यह महसूस किया जा रहा है कि 10 व" ा की आयुसीमा पूरी करने पर विक्रम टैम्पों वाहनों से अधिक वायु प्रदू" ाण हो रहा है।

ज्ञातव्य है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03—11—08 के संकल्प सं0 7(1) तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 27—12—08 संकल्प सं0 22 (अ) के अन्तर्गत डीजल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के लिए 10 व" ा तथा पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के लिए 12 व" ा निर्धारित की गई है। डीजल चालित वाहनों की आयु 07 व" ा तथा पेट्रोल चालित वाहनों की आयुसीमा 10 व" ा पूरी होने के पश्चात् इन वाहनों को 06—06 माह के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र भौतिक निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा जारी किया जाएगा। समिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा सम्भागीय/सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) ' ाामिल होंगे।

अतः प्राधिकरण देहरादून संभाग के उपरोक्त केन्द्रों से संचालित विक्रम टैम्पों वाहनों के लिए 15 व" ा के स्थान पर 10 व" ा की मॉडल सीमा करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:—12— <u>देहरादून नगर में संचालित नगर बस सेवा की बसों को विशे"ा परिस्थितियों में ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

देहरादून ‘ ाहर में 15 नगर बस मार्गों पर निजी नगर बस सेवा की बसें सचालित हो रही हैं। इन मार्गों पर कुल 292 बसें संचालित हो रही हैं। नगर बस सेवा में अधिकतम 166 इंच व्हीलबेस की बसों का परमिट जारी किए गए हैं। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने व" र्ा 1996 में परमिट जारी करते समय नगर बस सेवा के परमिटों में इस आशय की ‘ ार्त लगाइ थी कि **"अनुज्ञप्ति से आच्छादित कोई गाड़ी संविदा गाड़ी के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी अर्थात् नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित वाहन को ‘ ादी–विवाह तथा टूरिस्ट पार्टी से संबंधित परमिट जारी नहीं किया जाएगा।"**

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 04 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम हैं। इन धामों की यात्रा के लिए प्रतिव" र्ा लाखों यात्रो देश–विदेश से आते हैं। गत व" र्ा काफी संख्या में यात्रियों के आने के कारण ऋशिके" ा से यात्रा मार्गों पर संचालित होने वाली बसें की कमी हो गयी थी।

इस प्रकार कुंभ, 2010 के अवसर भी गाड़ियों की कमी की समस्या उत्पन्न हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में सिटी बसों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु उपर्युक्त परमिट ‘ ार्त के कारण इन बसों का उपयोग करने में कठिनाई होती है। चूंकि पर्वतीय मार्गों पर अधिकतम 166 इंच व्हीलबेस की बसें संचालित की जा सकती हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर विश" ा परिस्थितियों में नगर बस सेवा की बसों को ठेका गाड़ी के विश" ा परमिट जारी करने के पश्चात् यात्रा मार्गों पर संचालित किया जा सकता है।

अतः प्राधिकरण नगर बस सेवा के लिए निर्धारित उपरोक्त ‘ ार्त में शिथिलता बरतते हुए मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–13– परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए विभिन्न बैठकों में स्वीकृत नगर बस सेवा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08–10–10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों के लिए निम्न मार्गों के परमिट स्वीकृत किए गए थे तथा परमिट प्राप्त करने हेतु 31–12–10 तक का समय दिया गया था।

1. परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल तथा सम्बन्धित मार्ग –01 परमिट
2. आई0एस0बी0टी0–परेडग्राउण्ड–सहस्त्रधारा –04 परमिट
3. राजपुर–क्लेमनटाउन –04 परमिट

उपरोक्त परमिटों के अतिरिक्त प्राधिकरण के बैठक दिनांक 20–10–10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग (सभी पृ" ठांकनों सहित) पर 12 नगर बस परमिट जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों के लिए स्वीकृत किए गए थे तथा परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31–01–11 तक का समय दिया गया था।

जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तगत प्राप्त बसों का निरीक्षण करने पर बोर्ड फिटनेस में निम्न लिखित कमियां पायी गयी थीः–

1. बस का रंग आधा ऊपरी हिस्सा सफेद तथा आधा नीचे का हिस्सा गहरे लाल रंग का पाया गया।
2. बस के अन्दर छत पर दो होल्डिंग रॉड के स्थान पर एक हॉल्डिंग रॉड पायी गयी।
3. साक्षरता का नारा, "साक्षर दून सुन्दर दून" अंकित नहीं था।
4. निरीक्षण के समय वाहनों में साइड मिरर उपलब्ध नहीं थे।

सहा0 महाप्रबन्धक (ग्रामीण) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के आवेदन पर उपरोक्त कमियों में छूट देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष परिचालन पद्धति से प्रस्ताव प्रे" ात किया गया था। प्राधिकरण ने उक्त क्रमांक–01 पर पायी गयी कमी छूट प्रदान करते हुए ' ।" ।

कमियों को दूर करते हुए एक माह का समय प्रदान किया गया था। प्राधिकरण के इन आदेशों के अनुपालन में सहा0 प्रबंधक (ग्रामीण), उत्तराखण्ड परिवहन निगम को कार्यालय के पत्र सं0 1607/आरटीए/दस–278/परमिट स्वीकृति/11 दिनांक 07–01–2011 द्वारा उक्त क्रमांक 02, 03 व 04 पर उल्लिखित कमी को दूर करते हुए दिनांक 31–01–11 से पूर्व स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु कहा गया था।

इस पत्र के संदर्भ में मंडलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने अपने पत्रांक 079/म0प्र0/देहरादून/संचालन/श्रछछन्त्ड/11 दिनांक 27–01–11 द्वारा सूचित किया है कि क्रमांक 03 व 04 में उल्लिखित कमियों को दूर कर दिया गया है। क्रमांक–02 में उल्लिखित कमी के बारे में सूचित किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जो जेएनएनयूआरएम बसें उपलब्ध करायी गयीं हैं, वह भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी हैं तथा भारत सरकार की उपरोक्त योजना के मानकों के अनुसार ही उक्त बसों की बॉडी तैयार करवाई गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्तर से पृथक से परिवर्तन करना संभव नहीं है। जेएनएनयूआरएम बसों में मानकों के अनुसार हॉल्डिंग रॉड तथा यात्रियों की सुविधा हेतु सर्पोटिंक बेल्ट/हुक लगाये गये हैं।

मंडलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने उपरोक्त वर्णित पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की जेएनएनयूआरएम बसों के लिए स्वीकृत उपरोक्त 21 परमिट जारी करने की कृपा करे, ताकि यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–14– <u>मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपील सं0 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07 तथा 19/07 में पारित आदेशों का अवलोकन तथा मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अपीलकर्ताओं के प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।</u>

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 15–05–06 में देहरादून केन्द्र से ऑटोरिक्शा परमिटों हेतु प्राप्त 274 प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने 25 प्रार्थियों

को एक–एक ऑटोरिक्शा परमिट स्वीकृत किया था तथा ' ।" । पार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया गया था। जिन प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किए गए थे उनमें से निम्न लिखित प्रार्थियों द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपीलें दायर की गई थीं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र०सं०	**अपील संख्या**	**अपीलकर्ता का नाम**
1.	14 / 2007	श्री एस0 के0 श्रीवास्तव
2.	15 / 2007	श्री एस0 के0 श्रीवास्तव
3.	16 / 2007	श्री संतो" । कुमार
4.	17 / 2007	श्रीमती बीना श्रीवास्तव
5.	18 / 2007	श्री सचिन कुमार
6.	19 / 2007	श्री सचिन कुमार

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 09–02–11 द्वारा उपरोक्त अपीलों का निस्तारण किया गया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–

"अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 15–05–2006 के मद व संकल्प संख्या 15(अ) में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश अपास्त किया जाता है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को यह अपील इस निर्देश के साथ प्रतिप्रे"ात की जाती है कि अपीलकर्ता को सुनवायी का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण पर पुनः परीक्षण व विचार कर विधिसम्मत, सकारण (चमांपदह वतकमत) आदेश पारित करें। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी प्राधिकरण द्वारा तय मानकों को पूर्ण करता हैं तो अपीललार्थी को परमिट जारी किया जाय और यदि अपीलार्थी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं तो अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने के युक्तियुक्त कारणों का स्प"ट उल्लेख अपने आदेश में अवश्यक करें। यह प्रकरण काफी पुराना है, अतः संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलकर्ता द्वारा इस आदेश की प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत करने

के 45 दिनों के भीतर इस प्रकरण पर अंतिम निर्णय दें। प्राधिकरण का अभिलेख (यदि कोई हो तो) अबिलम्ब प्राधिकरण को वापस कर दिया जाय।"

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उदार नीति से सभी प्रार्थियों को परमिट जारी नहीं किए जा रहे थे, परन्तु बैठक दिनांक 27–12–08 में ऑटोरिक्शा परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को इस ' ार्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट पेट्रोल चालित वाहनों के लिए ही जारी किये जाएंगे और भवि" य में देहरादून ' ाहर में एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 फीलिंग स्टेशन स्थापित हो जाने पर इन वाहनों को एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 में परिवर्तित किया जाएगा। इसके पश्चात् प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 में यह निर्णय लिया गया था कि सभी आवेदकों को ऑटोरिक्शा परमिट निम्न लिखित ' ार्तों के साथ स्वीकृत किए जाएः–

1. आवेदक देहरादून का निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदक बेरोजगार हो।
3. आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
4. आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
5. परमिट एल0पी0जी0 चालित नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
6. परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 03 व" ाों तक किसी को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

वर्तमान में देहरादून केन्द्र से 2326 ऑटोरिक्शा परमिट वैध हैं तथा उन पर वाहनों का संचालन हो रहा है। अतः प्राधिकरण मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अपीलकर्ताओं के प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0ः–15– देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग के परमिटों को नगर बस परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

देहरादून–रायपुर मार्ग को नगर बस सेवा मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में प्रधान/सचिव, देहरादून–रायपुर बस ऑपरेटर यूनियन के प्रत्यावेदन दिनांक 05–06–10 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26–06–10 में मद सं0–07(अ) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किए थेः–

"इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग के परमिटों को नगर बस परमिटों मं परिवर्तित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्रधान/सचिव, रायपुर बस आपरेटर यूनियन देहरादून ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 05.06.10 द्वारा सूचित किया है कि "वर्तमान में इनके मार्ग पर 14 स्थाई सवारी परमिट वैध हैं। देहरादून से रायपुर तक उनके मार्ग को 40 सिटी बसों द्वारा ओवरलेप किया जाता है, जिसमें से कुछ बसें प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की हैं तथा कुछ बसें बंजारावाला–गुलरधाटी मार्ग की हैं। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि एक ही मार्ग पर दो तरह की बसों का संचालन होने से आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे दुर्धटना होने की सम्भावना होती है। उन्होंने निवेदन किया है कि मद में वर्णित तथ्यों के आधार पर उनके मार्ग के परमिटों को नगर बस सेवा परमिटों में परिवर्तित कर दिया जाय।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से उक्त मार्ग का सर्वे कराकर यह आख्या प्राप्त की जाय कि वर्तमान में उक्त मार्ग पर नगर बस वाहन मानकों के अनुरुप कितनी बसों की आवश्यकता होगी ? यह भी निर्णय लिया गया कि निर्धारित रिक्तियों पर मार्ग के वर्तमान परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति से कराया जाय तथा आख्या प्राप्त की जाय कि मार्ग पर कितने व्हीलबेस की वाहनें संचालित हो सकती हैं तथा मार्ग पर कितने परमिट जारी किये जा सकते हैं।"

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति से कराया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रेर्ि" ात आख्या निम्न प्रकार हैः–

"वर्तमान में देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग (पूर्व में मार्ग का विस्तार रायपुर से तुनवाला–मियांवाला–बालावाला –शमशेरगढ़ तक एवं मालदेवता से पी0पी0सी0एल0 तक किया गया है) में बड़ी बसें संचालित हैं, जिनके परमिटों को नगर बस परमिटों में परिवर्तित किये जाने हेतु मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। यात्रियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि मार्ग पर बसें तो संचालित हैं पर उनकी सेवा निरन्तर एवं निश्चित नहीं है। जबकि इस मार्ग पर वर्तमान में 14 परमिटों पर बसें संचालित हैं। मालदेवता से पी0पी0सी0एल0 तक का मार्ग संकरा है व 166 व्हील बेस के वाहनों के लिए उपयुक्त है। अतः इस रूट के परमिटों को नगर बस परमिट में परिवर्तित किया जाना उचित होगा। इस तरह इस मार्ग पर 14 नगर बसें संचालित होंगी जो कि जनसंख्या क सापेक्ष पर्याप्त हैं एवं इस मार्ग पर अतिरिक्त परमिट की आवश्यकता नहीं है।"

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–16– <u>प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार 'ामशेरगढ़ तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग के परमिटों का विस्तार ' ामशेरगढ़ तक करने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0 1956/आरटीए/दस–273/2011 दिनांक 09–02–11 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को कहा गया था कि मियांवाला–शमशेरगढ़ मार्ग पर सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग पर सिटी बस सेवा चलाने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता द्वारा मांग की गई है। अतः आप संयुक्त सर्वेक्षण कर समिति की आख्या उपलब्ध करायें। उन्होंने संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या दिनांक 17–02–11 प्रेषित की है जो निम्न प्रकार हैः–

"प्रेमनगर –गुलरघाटी मार्ग के परमिटों का विस्तार ' ामशेरगढ़ तक किये जाने हेतु उक्त मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि वर्तमान में देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग की बसें ' ामशेरगढ़ तक संचालित हैं। मियांवाला–शमशेरगढ़ मार्ग जिसकी लम्बाई 2.5 किमी0 है, पर सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त मार्ग पर प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग की बसें जो मियांवाला चौक से गुलरघाटी जाती हैं का विस्तार ' ामशेरगढ़ तक किये जाने की संस्तुति की जाती है।"

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

<u>मद सं0:—17—</u> **<u>डिफेंस कालोनी के निवासियों को सैनिक अस्पताल तक सीधी नगर बस सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

डिफेंस कालोनी क्षेत्र के निवासियों द्वारा यह मांग की जा रही है कि उन्हें सैनिक अस्पताल—गढ़ीकैण्ट तक सीधी बस सेवा उपलब्ध करायी जाए। इस सम्बन्ध मे सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को कार्यालय के पत्र संख्या 1998/आरटीए/दस—152/2010 दिनांक 09—02—11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेf" ात की है जो निम्न प्रकार हैः—

"डिफेंस कालोनी से सैनिक अस्पताल तक सीधी नगर बस सेवा संचालित किये जाने हेतु मा0 कृf" ा मंत्री महोदय द्वारा भी आदेश दिये गये है। इस मार्ग हेतु अनारवाला—सप्लाई—सैनिक अस्पताल—कैण्ट—बल्लुपुर चौक—आई0एस0बी0टी0—रिस्पना पुल की बस सेवा उपयुक्त है। उक्त मार्ग की लम्बाई वर्तमान में 22.9 किमी0 है। उक्त मार्ग का विस्तार रिस्पना पुल से डिफेंस कालोनी (लगभग 1.7 किमी0) तक किया जाना उचित होगा। जिससे डिफेंस कालोनी के लोगों को सैनिक अस्पताल के साथ—साथ आई0एस0बी0टी0 की भी सीधी बस सेवा मिल जाएगी तथा इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की आवेरलैंपिग भी नहीं होगी।"

अतः प्राधिकरण मामले में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

<u>मद सं0:—18—</u> **<u>देहरादून (परेडग्राउण्ड) से सप्लाई डिपो होते हुए गल्जवाड़ी—बंकर तक बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

श्रीमती लीला ' ार्मा, ग्राम प्रधान, गल्जवाड़ी एवं अन्य क्षेत्रवासियों द्वारा दिनांक 29—12—10 को एक प्रतिवेदन दिया गया था। इस प्रतिवेदन में यह निवेदन किया गया था कि देहरादून से किवाड़ी गांव तक

लोकल बस सेवा संचालित की जाए, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत, गजिवाला, गंगोल, पंडितवाड़ी, बि" ट गांव, सिंगली, किवाड़ी, रिखौली, भितरली गांव हैं। इन गांवों के लिए यातायात हेतु लोकल बस सेवा नहीं है। इस संदर्भ में कार्यालय के पत्र संख्या 1526/आरटीए/मार्ग सर्वेक्षण/दस–152/2010 दिनांक 30–12–10 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या मेमो/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 22–02–11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत की है जो निम्न प्रकार हैः–

"देहरादून से किवाड़ी गांव तक के मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। सप्लाई बस स्टैण्ड तक देहरादून(परेडग्राउण्ड)–कैण्ट मार्ग की बसें संचालित हैं। सप्लाई से गल्जवाड़ी बंकर तक का मार्ग 166 व्हील बेस के बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। इस मार्ग पर बसें खड़ी करने एवं मोड़ने हेतु स्थान भी पर्याप्त है। गल्जवाड़ी बंकर से आगे किबाड़ी गांव तक का मार्ग कच्चा व संकरा है एवं बसों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। अतः देहरादून(परेडग्राउण्ड)–कैण्ट रूट के परमिटों पर सप्लाई की दूरी लगभग 05 किमी0 है जो सप्लाई से गल्जवाड़ी बंकर (लगभग 03 किमी0) तक विस्तारित करने पर कुल दूरी लगभग 08 किमी0 हो जाएगी। इस मार्ग पर कुल 05 बसों की आवश्यकता होगी। मार्ग विस्तार से इन्द्रनगर, गल्जवाड़ी, गजियावाला व निकटवर्ती गांवों के लोग भी लाभान्वित होंगे।"

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–19– प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र संख्या–विविध/23 562–65/2010–11 दिनांक 06–01–2011 द्वारा निदेशक यू0आई0बी0एस0 कॉलेज एवं लॉ कॉलेज, देहरादून के पत्र दिनांक 22–11–10 की छायाप्रति इस कार्यालय को भेजते हुए सूचित किया था कि उक्त दोंनों विद्यालय आर्केडिया ग्राण्ट एवं नन्दा की चौकी पर संचालित हैं। जिनमें अधिकतर छात्र–छात्राएं देहरादून नगर क्षेत्र से आते–जाते हैं। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि संस्थाओं में अध्ययन कर छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए नगर

वाहनों को सुद्धोवाला तक चलाया जाए। उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्रों में भी यह निवेदन किया गया है कि प्रेमनगर तक चलने वाली नगर बस सेवा का विस्तार सुद्धोवाला तक जनहित में किया जाए।

कार्यालय के पत्र सं0 1778/आरटीए/दस–273/प्रे0नगर–रायपुर/2011 दिनांक 21–01–11 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को उपरोक्त सम्बन्ध में मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र सं0 मेमो/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2010 दिनांक 22–02–11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् अपनी आख्या प्रेषित की है जो निम्न प्रकार है:–

"नगर वाहनों को सुद्धोवाला तक चलाये जाने हेतु मार्ग का सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि उक्त मार्ग पर अनेक 'शैक्षणिक संस्थान स्थापित हैं। जिसमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को देहरादून से प्रेमनगर–तक विक्रम एवं नगर बस सेवा उपलब्ध है, लेकिन उससे आगे परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण छात्र/छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेमनगर–रायपुर व प्रेमनगर–गुलरघाटी रूट की बसों का विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला चौक जिसकी दूरी लगभग 03 किमी0 है, तक किया जाना उचित होगा।"

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने प्रेमनगर–रायपुर तथा प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग की बसों का मार्ग विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला तक करने की संस्तुति की है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग का विस्तार पूर्व में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08–07–99 में प्रेमनगर से भाऊवाला वाया सुद्धोवाला–माण्डूवाला तक किया गया है। अतः प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का विस्तार सुद्धोवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–20– परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल मार्ग का विस्तार परबल से शिमलाबाइपास बड़ोवाला–गोरखपुर–ईस्टेट होते हुए प्रेमनगर तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्राधिकरण के अन्तर्गत एक नगर बस सेवा मार्ग परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल है। इस मार्ग की लम्बाई 23 किमी है। वर्तमान में इस मार्ग पर 19 स्थाई नगर बस सेवा परमिट जारी किए गए हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा बड़ोवाला से गोरखपुर होते हुए प्रेमनगर तक बस सेवा चलाये जाने की मांग की गई थी। इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया था। परिवहन कर अधिकारी–1, देहरादून ने अपने पत्र सं0–2466/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 01–03–11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् निम्न आख्या प्रेषित की है।

1. परबल से शिमलाबाई पास होते हुए बड़ोवाला चौक–गोरखपुर होते हुए प्रेमनगर तक उक्त मार्ग की लम्बाई 15.3 किमी है।
2. वर्तमान में गोरखपुर होते हुए प्रेमनगर के लिए कोई बस सेवा संचालित नहीं है। उक्त मार्ग पर यदाकदा विक्रम वाहनें संचालित होती हैं जो पर्याप्त नहीं हैं।
3. इस मार्ग पर गोरखपुर, भुड्डी, बड़ोवाला आदि गांव पड़ते हैं।
4. स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर–परबल मार्ग का विस्तार परबल से शिमला बाईपास होते हुए बड़ोवाला, गोरखपुर, टी–ईस्टेट होते हुए प्रेमनगर तक कर दिया जाए। जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु इस मार्ग की बसों का संचालन परबल से होते हुए शिमलाबाई पास–बड़ोवाला चौक–गोरखपुर, टी–ईस्टेट होते हुए प्रेमनगर तथा प्रेमनगर से टी–ईस्टेट गोरखपुर, बड़ोवाला, शिमलाबाई, परबल होते हुए प्रेमनगर दोनों ओर से 50–50 प्रतिशत सेवाएं रोटेशन से संचालित किया जाना उपयुक्त होगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–21– मियांवाला चौक–गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किदड़ूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीवनगर–बलबीर रोड–ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेडग्राउन्ड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 के संकल्प सं0–10 द्वारा उपरोक्त मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु ए क्लास में वर्गीकृत किया गया था तथा इस मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की 10 वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त बैठक में निम्न आदेश पारित किये थे–

मद सं0–10 के अन्तर्गत गढवाली कालोनी–निर्वाचन आयोग–आर्यसमाज चौक–अम्बीवाला गुरुद्वारा–बद्रीश कालोनी–अपर राजीव नगर क्षेत्र को नगर बस सेवा से जोडने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री दौलतराम सेमवाल सदस्य राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परि" ाद उत्तराखण्ड ने श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मा0 मंत्री उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 24.11.09 द्वारा सूचित किया है कि परेड ग्राउन्ड से रिस्पनापुल–जोगीवाला के लिये प्रत्येक 10 मिनट में बस सेवा उपलब्ध है। नई प्रस्तावित बस सेवा को परेड ग्राउण्ड से अपर नेहरुकालोनी(तेगबहादुर रोड)–अपर राजीव नगर–बद्रीश कालोनी–अम्बीवाला गुरुद्वारा–छह नम्बर पुलिया–अपर नत्थनपुर–किददूवाला–रायपुर रुट पर चलाया जाय ताकि क्षेत्र के निवासियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात अपनी आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, उन्होंने अपने पत्र दिनांक 09.04.10 द्वारा मार्ग का सवक्षण करने के पश्चात अपनी आख्या प्रे" ात की है। उन्होंने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात सुझाव दिया है कि मियांवाला से बालावाला होते हुऐ गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किददूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीव नगर–बलबीर रोड–ईसी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेड ग्राउण्ड तक छोटी जीप प्रकार के वाहनों के संचालन हेतु मार्ग उपयुक्त है। इस मार्ग की लम्बाई 15.5 किमी है। उन्होंने सर्वेक्षण आख्या में यह कहा है कि इस मार्ग पर सेवा प्रारम्भ करने से मियांवाला–तुनवाला–बालावाला–नथुवावाला–गुजरोवाली–केशव बिहार–नाजीवाला–किददूवाला–नेहरुग्राम–नत्थनपुर–गढवाली कालोनी निर्वाचन आयोग–राजीव नगर–डांडा–बद्रीश कालोनी–बलबीर मार्ग–ईसी रोड क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। उन्होंने इस मार्ग पर जीप प्रकार की छोटी वाहनों के 10 परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु मियांवाला से बालावाला होते हुऐ गुजरोवाली–तुनवाला– नाजीवाला– किददूवाला– नत्थनपुर– नेहरुग्राम–राजीव नगर'–बलबीर रोड–ईसी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेड ग्राउन्ड मार्ग निर्धारित किया जाता है। मार्ग ए क्लास में वर्गीकृत किया जाता है तथा इस मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों को 10 ठेका गाडी परमिट जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जायें तथा प्रार्थनापत्रों को आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त क्षेत्र की जनता द्वारा वर्तमान में यह मांग की जा रही है कि मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के बजाय स्टैज कैरेज के रुप में संचालित किया जाय, ताकि मार्ग पर संचालित वाहनें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये फुटकर सवारियां ढो सकें तथा क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके।

यद्यपि मार्ग का सर्वेक्षण मियांवाला चौक से किया गया है, लेकिन यह उपयुक्त रहेगा कि इस मार्ग को हर्रावाला रेलवे–स्टेशन से मियांवाला चौक होते हुए गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किद्दूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम– राजीवनगर–बलबीर रोड–ई0सी रोड होत हुऐ सर्वेचौक–परेडग्राउन्ड मार्ग निर्मित किया जाए।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग को स्टैज कैरेज मार्ग के रुप में वर्गीकृत करने हेतु विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–22– <u>सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–आईएसबीटी–दून विश्वविधालय वाया दिलाराम–प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–बाईपास रोड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में।</u>

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 के संकल्प सं0–17 तथा बैठक दिनांक 26.06.10 के संकल्प सं0–12 द्वारा अन्य मार्गो के साथ–साथ सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक(पथरिया

पीर)–आईएसबीटी–दून विश्वविधालय वाया दिलाराम–प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–बाईपास रोड मार्ग, जिसकी लम्बाई 16 किमी है, को 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था तथा इस मार्ग के लिये 20 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी, परन्तु क्षेत्र की जनता द्वारा वर्तमान में यह मांग की जा रही है कि मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के बजाय स्टैज कैरेज के रुप में संचालित किया जाय, ताकि मार्ग पर संचालित वाहनें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये फुटकर सवारियां ढो सकें तथा क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग को स्टैज कैरेज मार्ग के रुप में वर्गीकृत करने हेतु विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–23– आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी–आईएसबीटी तथा आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–चन्द्रबनी होते हुऐ आईएसबीटी तक जीप प्रकार की छोटी वाहनों को स्टैज कैरेज वाहनों के रुप में संचालित करने हेतु मार्ग वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश–

परिचालन पद्वति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 01.01.11 द्वारा निम्नलिखित दो मार्गो को जीप प्रकार की छोटी वाहनो को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था।

1- आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी–आईएसबीटी–6.1 किमी।

2- आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–चन्द्रबनी होते हुऐ आईएसबीटी तक–10.7 किमी

वर्तमान में क्षेत्र की जनता द्वारा वर्तमान में यह मांग की जा रही है कि मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के बजाय स्टैज कैरेज के रुप में संचालित किया जाय, ताकि मार्ग पर संचालित वाहनें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये फुटकर सवारियां ढो सकें तथा क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग को स्टैज कैरेज मार्ग के रुप में वर्गीकृत करने हेतु विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:—24— ऋ"ाकेश केन्द्र से पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के परमिट पर डीजल चालित वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में श्री मदन मोहन 'ार्मा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ऑटोरिक्शा ओनर्स एसोसिएशन ऋ"ाकेश के पत्र दिनांक 25.11.10 पर विचार व आदेश।

श्री मदन मोहन ' ार्मा उत्तराखण्ड ऑटोरिक्शा ओनर्स एसोसिएशन, ऋ" ाकेश के पत्र दिनांक 25.11.10 द्वारा सूचित किया है कि व" ा 2008 में प्राधिकरण द्वारा ऋ" ाकेश कन्द्र से पैटोल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के परमिट स्वीकृत किए गए थे। कुछ व्यक्तिया द्वारा पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहन खरीद लिए गए थे तथा कार्यालय द्वारा इन वाहनों को परमिट भी जारी कर दिए गए थे, परन्तु इसके पश्चात् पुनः ऋशिके" ा केन्द्र से डीजल चालित ऑटोरिक्शा वाहना के परमिट जारी किए गए हैं। ऋशिकेश में पैट्रोल चालित वाहन अधिक नहीं होने के कारण इन वाहनों के रख—रखाव हेतु स्थानीय स्तर पर मैकेनिकों की कमी महसूस की जा रही है। जिस कारण से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने निवेदन किया है कि ऋ" ाकेश केन्द्र से जारी पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा परमिटों पर डीजल चालित वाहनें लगाने की आज्ञा प्रदान की जाए। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 07.12.2010 द्वारा यह भी सूचित किया है कि पेट्रोल वाहन के स्थान पर नई डीजल वाहन लगाई जाएगी तथा पेट्रोल चालित वाहना को कबाड़ी या किसी अन्य राज्य में बेच दिया जाएगा। पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहन दोबारा परिमट हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–25– <u>दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के परमिटों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत विचार व आदेश।</u>

1–सहा0 परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0 4044/टीआर/सात–3/107/बारह–23/2010–11 दिनांक 16–12–10 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 10–11–10 को दुगड्डा–लैंसडाउन मोटर मार्ग पर स्थान तुसरानी बैण्ड के समीप वाहन सं–यूपी07के–9578 दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। यह वाहन टैक्सी कैब के रूप में पंजीकृत है, जिसकी अधिकतम सीटिंग क्षमता 06 है। इस दुर्घटना में 02 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 06 व्यक्तियों के घायल होने का उल्लेख जांच आख्या में किया गया हैं। क्षमता से अधिक सवारियों का वहन करने के लिए वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी भी दो" ाी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि परमिट के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री अनूप सिंह चौहान पुत्र श्री मेहरबान सिंह टी0एच0डी0सी0 कालोनी, देहराखास, देहरादून को कार्यालय के पत्र सं0 1502/आरटीए/पीसीओपी–3111/10 दिनांक 28–12–10 द्वारा नोटिस भेजा गया था कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था कि क्यों न आपकी वाहन सं0 यूपी07के–9578 के परमिट सं0 पीसीओपी–3111 को निरस्त कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को 15 दिन के अन्दर अपना स्प" टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। वाहन स्वामी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

2–श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह पौखरियाल, छिद्दरवाला, ऋ" ाकेश, जिला देहरादून के नाम पर मार्ग सूची सं0–एक का स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–2806 है। इस परमिट पर वाहन सं0–यूपी08–3944 संचालित है। यह वाहन दिनांक 05–01–11 को देहरादून–मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना के फलस्वरूप 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा कुछ यात्री घायल हो गये थे। जांच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त वाहन का परमिट हरिद्वार–देहरादून–मसूरी मार्ग के लिए वैध नहीं था, परन्तु परमिट धारक द्वारा बस का संचालन इस मार्ग पर अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था।

परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0–1881/आरटीए/पीएसटीप–2806/2011 दिनांक 01–02–11 द्वारा नोटिस भेजा गया था कि क्यों न मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत आपके परमिट संख्या पीएसटीपी–2806 को निरस्त कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में दिनांक 15–02–11 तक अपना स्प" टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रतिउत्तर में प्रार्थिनी ने निवेदन किया है कि *बस का संचालन प्रार्थिनी गृहणी होने के कारण बस का संचालन स्वयं नहीं करती है बल्कि उनके पति श्री बलवीर सिंह पोखरियाल करते हैं। प्रार्थिनी को यह पता नहीं कि मार्ग सूची संख्या–01 में मसूरी मार्ग ' ाामिल नहीं है। क्योंकि मार्ग सूची संख्या–01 में कौन–कौन से रूट ' ाामिल हैं यह परमिट में स्प" ट नहीं है केवल प्रार्थिनी को इतना बताया गया था कि ऋ" ाकेश केन्द्र से बस हरिद्वार तक वह ऋ" ाकेश से गढ़वाल के पहाड़ों पर जा सकती है इसलिए प्रार्थिनी की बस सात अन्य बसों के साथ जो कि ऋ" ाकेश केन्द्र की थी मसूरी गयी थी जो कि दुर्भाग्य से तकनीकी खराबी होने से दुर्घटना ग्रस्त हो गयी प्रार्थिनी को मृतक व घायलों का अत्यधिक सदमा है इसके अलावा प्रार्थिनी वाहन सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जो कि अी भी दुघर्टना स्थल पर पड़ा हुआ है इस प्रकार प्रार्थिनी को पूर्ण बस की आर्थिक छति भी हुई है प्रार्थिनी एक महिला है उसे ज्ञान न होने के कारण प्रार्थिनी को एक बार गलती माफ करने की कृपा करें।*

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में परमिटों के विरुद्ध धारा 86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:–

(1) जिस परिवहन प्राधिकण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा, जितना वह ठीक समझे।

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्प"टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहां परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलम्बित करता है वहां वह की गई कार्यवाही के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप से देगा।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ड़) के अधीन रद्द या निलम्बित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–26– <u>सार्वजनिक सेवा यानों में यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजेंट) को पंजीकृत करने/अनुज्ञाप्ति दिये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 में यह प्राविधान है कि अभिकर्ता या प्रचारक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति–

1. सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्री के लिए टिकटों के विक्रय में या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप में याचना करने में अपने को तभी लगाएगा जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञाप्ति प्राप्त कर ली है। ऐसी ' ार्तों पर ही लगाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अन्यथा नहीं।

उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावाली, 1998 (उत्तराखण्ड में भी प्रभावी), के नियम 124 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री करने लिए अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति लेने का प्राविधान है। नियम 124 में यह प्राविधान है कि किराये पर दिये जाने वाले या भाड़े के लिए प्रचालित किए जाने वाले सार्वजनिक सेवा यानों का प्रत्येक स्वामी उनकी ओर से ऐसे अभिकर्ता के, जो ऐसे यान द्वारा

यात्रा करने के लिए यात्रियों को टिकट का विक्रय करने में लगे हुए हैं, नाम और पते संबंधित संभागीय परिवहन प्राधिकरण को संसूचित करेगा।

कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के स्वामी के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा और कोई स्वामी किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह संबंधित संभागीय परिवहन प्राधिकरण से प्रपत्र एस0आर0 41 में अभिकर्ता का लाईसेंस प्राप्त न कर ले, इस प्रकार नियोजित नहीं करेगा। किसी अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति जारी होने या नवीनीकरण के दिनांक से 03 व" र्ा की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और केवल उसी सम्भाग में प्रभावी होगी, जिसमें वह जारी या नवीकृत की गई हो। 18 व" र्ा की आयु से कम का कोई व्यक्ति अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का धारक नहीं हेगा। अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखित रूप से प्रपत्र एस0 आर0 42 में उस सम्भाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाएगा जिसमें आवेदक रहता हो और उसके साथ आवेदक के छायाचित्र की दो सुस्प" ट प्रतियां और नियम 125 के अधीन विनिर्दि" ट फीस होगी। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को जारी करने या उसका नवीनीकरण करने से इनकार कर सकता है या ऐसी ' ार्तों पर अनुज्ञप्ति दे सकता है, जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अभिकर्ता द्वारा पहिनी जाने वाली वर्दी को विनिर्दि" ट कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति एक सम्भाग में प्रभावी एक से अधिक अभिकर्ता अनुज्ञप्ति नहीं रखेगा। अभिकर्ता जब कार्य पर होगा अपने वक्ष पर बांयी ओर सहज दृश्य स्थान पर, अंग्रेजी या हिन्दी में ' वेत सतह पर काले बड़े अक्षरों में लिए हुए अपने नेम प्लेट के साथ बैच धारण करेगा। नियम 124 (8) के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अनुज्ञप्ति प्रदान के सम्बन्ध में कुछ ' ार्तें लगा सकता है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋ" ाकेश ने अपने पत्र सं0 149/स0प्र0/ट्रेवल एजेंट/10 दिनांक 09–02–11 द्वारा अनुज्ञप्ति में निम्न ' ार्तें आरोपित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:–

1. कार्यालय में चालक/परिचालक/यत्रियों के बैठने के लिए टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए।
2. कार्यालय किराये के भवन पर या स्वयं के भवन पर संचालित है का प्रमाण पत्र।
3. आयुसीमा का प्रमाण पत्र।

4. पुलिस विभाग/अग्निशमन केन्द्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

5. कम से कम 05 वाहनें (बस, मैक्सी, टैक्सी) जो ट्रेवल एजेंट के नाम पंजीकृत हो/के अधीन संचालित हो।

6. कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण ' ौक्षिक योग्यता सहित।

7. किराये की सूची (प्रत्येक प्रकार की यात्री वाहनों) अपने कार्यालय के बाहर चस्पा हो।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋ" ाकेश ने सूचित किया है कि वर्तमान में कोई भी ट्रेवल एजेंट पंजीकृत नहीं है। अतः इस व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को प्रेरित करने हेतु पंजीकरण के आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उचित रहगा कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह अधिकार सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दे दिया जाए। जिससे कि अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण की बैठक की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कपा करें।

मद सं0:—27— **अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कोई अन्य मद।**

सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09–03–11 की अनुपूरक काय सूची

मद सं0–1(अनु0)– कौलागढ़–विधानसभा नगर बस मार्ग को टपकेश्वर महादेव मंदिर से जोड़ने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री महन्त मायागिरी जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जंगलम् शिवालय मंदिर एवं मंदिर समिति टपकेश्वर महादेव द्वारा दिनांक 07–02–11 कौलागढ़–विधानसभा सिटी बस एसोसिएशन के माध्यम से कौलागढ़–विधानसभा सिटी बसों को टपकेश्वर महादेव मंदिर तक संचालित करने हेतु प्रत्यावेदन दिया था। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0 2034/आरटीए/दस–273/2010 दिनांक 18–02–11 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया था। स0स0प0अ0(प्रव0), देहरादून ने अपने पत्र संख्या 2591/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 08–03–11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत की है जो निम्न प्रकार है।

1. **कौलागढ़ से टपकेश्वर की दूरी लगभग 02 किमी है।**
2. **मार्ग पूरा पक्का है। मार्ग की चौड़ाई लगभग 18 से 20 फिट है केवल एक स्थान पर मार्ग की चौड़ाई 14 फिट है।**
3. **मंदिर समिति की ओर से मंदिर के पुजारी तथा स्थानीय लोंगो द्वारा अवगत कराया गया कि त्यौहारों आदि अवसरों पर मंदिर में विभिन्न स्थानों से टूरिस्ट बसें आदि आती रहती हैं। मार्ग 133 इंच व्हील बेस तक बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है।**
4. **उक्त मार्ग पर काफी भीड़ रहती है। अतः इसको दृ"टगत रखते हुए मार्ग पर एक–एक घंटे के अन्तराल में बस सवांए चलाया जाना उपयुक्त होगा।**

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

—:सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09—03—2011 के कार्यवृत्त की वि"ाय सूचीः—

मद सं0	परिशि"ट सं0	विषय	पृ"ठ संख्या
1		सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 तथा 20.10.2010 में पारित आदेशों का अनुपालन	1.9
2		सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अनुमोदन	9
3		सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी अस्थाई/स्थाई परमिटों का अनुमोदन	9.10
4	"क"	डोईवाला केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश	10.12
5	"ख"	मियांवाला चौक—गुजरोवाली चौक—तुनवाला—नाजीवाला—किददूवाला—नत्थनपुर—नेहरुग्राम—राजीव नगर —बलबीर रोड—ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक—परेड ग्राउन्ड मार्ग पर 7/8 सीटर हल्की वाहनों को संचालन ठेका गाड़ी के रूप में करने हेतु परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	13.14
	"ग"	सैन्य कालोनी—नीलकंठ बिहार—कालीदास चौक (पथरिया पीर)—कालीदास रोड—दिलाराम चौक—युकलिप्टिस रोड—सर्वेचौक—परेडग्राउण्ड—लैंसडाऊन चौक—रेंजर कॉलेज—पंचायती मंदिर चौक—प्रिंस चौक—सहारनपुर चौक—मातावाला बाग—गुरू रामराय डिग्री कॉलेज—कारगी—विद्याविहार—बाईपास रोड—आईएसबीटी एवं दून विश्वविद्यालय मार्ग पर 7/8 सीटर हल्की वाहनों को संचालन ठेका गाड़ी के रू" में करने हेतु परमिटों के लिए प्राप्त	

		प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	
	"घ"	आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी–सुभा" । नगर चौक–ट्रांसपोर्ट नगर–आईएसबीटी मार्ग पर 7/8 सीटर हल्की वाहनों को संचालन ठेका गाड़ी के रूप में करने हेतु परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	
	"च"	आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट–चन्द्रबनी–वाइल्ड लाइफ कालोनी–सुभा" । नगर चौक–ट्रांसपोर्ट नगर–आईएसबीटी मार्ग पर 7/8 सीटर हल्की वाहनों को संचालन ठेका गाड़ी के रूप में करने हेतु परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	
6		रिविजन सं0 5/2009–श्री गुरबक्श सिंह बनाम संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून तथा अन्य में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27–06–09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	14.16
7 (अ)		मण्डलीय प्रबंधक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा देहरादून–विकास नगर–कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	16.17
(ब)	"छ"	देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	17
08		श्री प्रीतम दास गर्ग के नाम पर मार्ग सूची सं0–05 के लिए जारी स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–3596 में से पर्वतीय मार्ग को काटने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	17.18
09		श्रीमती स्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल कुमार सिंघल, सी–30, नेहरूकालोनी, देहरादून एम0डी0डी0ए कालोनी–डाट मंदिर मार्ग पर नगर बस सेवा परमिट हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 01–12–10 पर विचार व आदेश।	18.19
10		श्रीमती बबीता देवी, श्रीमती चम्पा देवी तथा श्रीमती कृ" णा देवी को देहरादून–डोईवाला तथा संबंधित मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाड़ी परमिट नई वाहन के स्थान पर, 05 व" । कम	19.20

		पुरानी वाहनों पर जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	
11		देहरादून सम्भाग के विभिन्न केन्द्रों से जारी विक्रम टैम्पों परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए (देहरादून केन्द्र को छोड़कर) मॉडल सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	20.21
12		देहरादून नगर में संचालित नगर बस सेवा की बसों को विशे" ा परिस्थितियों में ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	22
13		परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए विभिन्न बैठका में स्वीकृत नगर बस सेवा परमिट, मानको में छूट प्रदान करते हुए, जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	23.24
14		मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपील सं0 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07 तथा 19/07 में पारित आदेशों का अवलोकन तथा मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अपीलकर्ताओं के प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	24.26
15		देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग के परमिटों को नगर बस परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	26.27
16		प्रेमनगर–गुलरघाटो नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार ' ामशेरगढ़ तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	27.28
17		डिफेंस कालोनी के निवासियों को सैनिक अस्पताल तक सीधी नगर बस सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	28
18		देहरादून (परेडग्राउण्ड) से सप्लाई डिपो होते हुए गल्जवाड़ी–बंकर तक बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	29
19		प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	29.30
20		परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल मार्ग का विस्तार परबल से शिमलाबाईपास बड़ोवाला–गोरखपर–ईस्टेट होते हुए प्रेमनगर तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	30.31
21		मियांवाला चौक–गुजरोवाली	31.33

		चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किद्दूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीवनगर–बलबीर रोड–ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेडग्राउन्ड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में।	
22		सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–आईएसबीटी–दून विश्वविधालय वाया दिलाराम–प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–बाईपास रोड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में।	33
23		आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी–आईएसबीटी तथा आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–चन्द्रबनी होते हुऐ आईएसबीटी तक जीप प्रकार की छोटी वाहनों को स्टैज कैरेज वाहनों के रुप में संचालित करने हेतु मार्ग वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश	34
24		ऋ"ाकेश केन्द्र से पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के परमिट पर डीजल चालित वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में श्री मदन मोहन ' ार्मा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ऑटोरिक्शा ओनर्स एसोसिएशन ऋ"ाकेश के पत्र दिनांक 25.11.10 पर विचार व आदेश।	34.35
25		दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के परमिटों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत विचार व आदेश।	35.37
26		सार्वजनिक सेवा यानों में यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजेंट) को पंजीकृत करने/अनुज्ञाप्ति दिये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	37.39
27		अन्य मद।	39